उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-204/2017/1859/92-2-17-15जांच/2014

लखनऊ:: दिनांक:: 01 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना 2012-13 के अंतर्गत सम्पर्क मार्ग इसारू से देवकली पिच के चैनेज 1310 से 3300 (कुल लम्बाई 1990 मी0) के निर्माण कार्यो में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जॉच आख्या के अनुसार की गयी अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-14/ 2017/219/92-2-2017-15जांच/2014 दिनांक 09-01-2017 द्वारा श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के पत्र दिनांक 31.05.2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी श्री जे0एन0 श्रीवास्तव के विरूद्व कोई आरोप स्थापित नही पाये गये, परन्तु शासन द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या से इतर मत रखते हुये अपचारी अधिकारी, श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव का कतिपय बिन्दुओं पर अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 04-10-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-14/2017/219/92-2-2017-15जांच/2014 दिनांक 09-01-2017 द्वारा श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-204/2017/1859(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री जे0एन0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-देवरिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।